बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग

अधिसूचना

अधि0सं0– निग/सारा–04 (पथ) मुक०–02/2022 5649(S) /पटना, दिनांक 10/8/26

कार्यपालक अभियंता, उड़नदस्ता प्रमंडल संख्या–02 द्वारा पथ प्रमंडल, समस्तीपुर के अंतर्गत विभिन्न पथों की जाँच के पश्चात् समर्पित जाँच प्रतिवेदन के आलोक में पाई गई अनियमितता के संदर्भ में श्री इन्द्रजीत कुमार, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, समस्तीपुर सम्प्रति सेवानिवृत अधीक्षण अभियंता से स्पष्टीकरण पूछा गया। प्राप्त स्पष्टीकरण की विभागीय समीक्षा की गयी एवं समीक्षोपरांत निम्न आरोपों के लिए विभागीय संकल्प संख्या–10295(एस) अनु० दिनांक–12.09.2011 द्वारा श्री कुमार के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही संचालित की गयीः–

(i) वाजिदपुर–दलसिंह सराय–नरहन रोसड़ा पथः–

इस पथ के कि०मी० प्रथम में कराये गये ब्रीक सोलिंग कार्य से एकत्रित 05 (पाँच) ईंट के नमूनों का कम्प्रेसिव स्ट्रेन्थ 88.58 kg/cm^2 से 101.01 kg/cm^2 पाया गया है, जिसका औसत 94.89 kg/cm^2 आता है, जबकि MORTH (चतर्थ संस्करण) की कंडिका–1003 के अनुसार 05 (पाँच) ईंटों की औसत कम्प्रेसिव स्ट्रेन्थ न्यूनतम 105 kg/cm^2 होना चाहिए। उक्त पाँच ईटों के नमूनों का वाटर एवजावर्सन 21.66% से 23.41% तक पाया गया है, जिसका औसत 22.31% आता है, जबकि प्रावधान अधिकतम 20% का है।

पथ के कि०मी० 29 (विभूतिपुर प्रखंड के समीप) के फ्लैंक से संग्रहित 05 (पाँच) ईंट के नमूनों का कम्प्रेसिव स्ट्रेन्थ 78.67 kg/cm^2 से 113.56 kg/cm^2 तक पाया गया, जिसका औसत 95.31 kg/cm^2 आता है, जबकि 05 (पाँच) ईंटों के नमूनों का औसत कम्प्रेसिव स्ट्रेन्थ न्यूनतम 105 kg/cm^2 होना चाहिए तथा एक ईंट का कम्प्रेसिव स्ट्रेन्थ 84 kg/cm^2 से कम नहीं होना चाहिए। उपरोक्त 05 (पाँच) ईंटों के नमूनों का वाटर एवजावर्सन 17.64% से 25.04% तक पाया गया, जिसका औसत 21.76% आता है, जबकि प्रावधान अधिकतम 20% का है।

(ii) दलसिंहसराय–कैदराबाद मालती पथः–

जाँच पदाधिकारी द्वारा प्रारंभिक जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि पथ में जाँच दिनांक–26.07.2007 एवं 27.07.2007 को की गयी है एवं इस तिथि तक पथ के कि०मी० 01 एवं 02 में कोई कार्य शुरू नहीं किया गया था एवं कि०मी० 03 से 06 में मात्र GSB एवं WMM का कार्य किया गया था, जबकि एकरारनामा के अनुसार कार्य प्रारम्भ की तिथ–27.02.2007 एवं कार्य समाप्ति की तिथि छः माह अर्थात् दिनांक–26.08.2007 थी। इस आलोक में कार्य की प्रगति धीमी पायी गयी।

2. संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन पत्रांक–72 अनु० दिनांक–09.01.2012 में श्री कुमार के विरूद्ध गठित आरोपों को अप्रमाणित प्रतिवेदित किया गया, जिससे असहमत होते हुए श्री कुमार से पत्रांक–11822(एस) अनु० दिनांक–09.12.2014 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा की मांग की गयी। श्री कुमार द्वारा पत्रांक–शून्य दिनांक–10.12.2014 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर समर्पित किया गया, जो समीक्षोपरांत मान्य नहीं पाते हुए सरकार के निर्णयानुसार प्रमाणित पाये गये आरोप के लिए विभागीय अधिसूचना संख्या–4234(एस) दिनांक–15.05.2015 द्वारा ''दो वार्षिक वेतन वृद्धि पर संचयात्मक प्रभाव से रोक'' का दंड संसूचित किया गया।

3. उक्त संसूचित दंडादेश के विरूद्ध श्री कुमार के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में CWJC No.-803/2016 दायर किया गया, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय, पटना के दिनांक–04.01. 2019 को पारित न्यायादेश द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–18 में विहित प्रक्रियाओं का अनुपालन नहीं किये जाने के आधार पर विभागीय पत्रांक–11822(एस) अनु० दिनांक–09.12.2014 द्वारा निर्गत द्वितीय कारण पृच्छा एवं उक्त दंडादेश को

निरस्त कर दिया गया और साथ ही अनुशासनिक प्राधिकार को श्री कुमार के विरूद्ध द्वितीय कारण पृच्छा के स्तर से नियमानुसार कार्रवाई करने की छूट/स्वतंत्रता भी दी गयी।

4. माननीय उच्च न्यायालय, पटना के उक्त पारित न्यायादेश के आलोक में समीक्षोपरांत सरकार के निर्णयानुसार विभागीय अधिसूचना संख्या-4609(एस)-सह-पठित ज्ञापांक-4610(एस) दिनांक-08.05.2019 द्वारा श्री इन्द्रजीत कुमार, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता सम्प्रति सेवानिवृत अधीक्षण अभियंता से विभागीय पत्रांक-11822(एस) अनु० दिनांक-09.12.2014 द्वारा पूछे गये द्वितीय कारण पृच्छा एवं विभागीय अधिसूचना संख्या-4234(एस)-सह-पठित ज्ञापांक-4235(एस) दिनांक-15.05.2015 द्वारा संसूचित "दो वार्षिक वेतन वृद्धि पर संचयात्मक प्रभाव से रोक" संबंधी दंडादेश को निरस्त करते हुए देय परवर्ती लाभ अनुमान्य किया गया और यह भी निर्णय लिया गया कि श्री कुमार के विरूद्ध द्वितीय कारण पृच्छा के स्तर से नियमानुसार अलग से कार्रवाई की जायेगी।

5. उक्त लिये गये निर्णय के आलोक में गठित असहमति के बिन्दुओं पर पर विभागीय पत्रांक-6982(एस) दिनांक-30.07.2019 द्वारा श्री कुमार से द्वितीय कारण पृच्छा की मांग की गयी। श्री कुमार के पत्रांक-168 अनु० दिनांक-05.08.2019 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर समर्पित किया गया, जिसकी विभागीय/अनुशासनिक प्राधिकार के द्वारा समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत श्री कुमार के द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर को स्वीकार योग्य नहीं पाते हुए सम्यक् विचारोपरांत उनके विरूद्ध विभागीय अधिसूचना संख्या-3883(एस)-सहपठित ज्ञापांक-3884(एस) दिनांक-06.08.2021 द्वारा "एक वार्षिक वेतन वृद्धि पर संचयात्मक प्रभाव से रोक" का दंड संसूचित किया गया।

6. श्री कुमार के द्वारा पुनः उक्त दंडादेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, पटना में CWJC No.-407/2022 दायर किया गया, जिसमें माननीय न्यायालय के दिनांक-22.06.2026 को पारित न्यायादेश द्वारा दंडादेश को Set aside कर दिया गया है। समीक्षोपरांत उक्त पारित न्यायादेश के विरूद्ध अपील में जाने का कोई युक्तिसंगत आधार नहीं पाये जाने के फलस्वरूप उक्त न्यायादेश के अनुपालन में श्री इन्द्रजीत कुमार, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, समस्तीपुर सम्प्रति सेवानिवृत अधीक्षण अभियंता के विरूद्ध विभागीय अधिसूचना संख्या-3883(एस)-सहपठित ज्ञापांक-3884(एस) दिनांक-06.08.2021 द्वारा अधिरोपित "एक वार्षिक वेतन वृद्धि पर संचयात्मक प्रभाव से रोक" के दंडादेश को निरस्त किया जाता है। इसके फलस्वरूप श्री कुमार को सभी अनुवर्ती लाभ देय होगा।

7. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-
सरकार के उप सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :- निग/सारा-04 (पथ) मुक०-02/2022 **/पटना, दिनांक.......................**

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (ले० एवं ह०) का कार्यालय, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-
सरकार के उप सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :- निग/सारा-04 (पथ) मुक०-02/2022 **/पटना, दिनांक..................**

प्रतिलिपि :- प्रभारी पदाधिकारी, ई0 गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को हार्ड कॉपी एवं सी०डी० के साथ बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित (द्वारा- आई०टी० मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना)।

अनु0-यथोक्त।

ह०/-
सरकार के उप सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– निग/सारा–04 (पथ) मुक०–02/2022 /पटना, दिनांक..............................

प्रतिलिपि :– सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव/सचिव, भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग बिहार, पटना/विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/संयुक्त सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता, उत्तर, पथ निर्माण विभाग, पटना/अधीक्षण अभियंता, पथ अंचल, दरभंगा/उप सचिव (प्र०को०) पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, समस्तीपुर/उप सचिव (प्रभारी प्रशाखा–13/14), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/उप सचिव (मु०), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव, लेखा, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–1/2/6/13/14, एवं लेखा शाखा, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना तथा **श्री इन्द्रजीत कुमार, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, समस्तीपुर सम्प्रति सेवानिवृत अधीक्षण अभियंता, पत्राचार का पता--जय महावीर कॉलोनी, रोड नं०–05, संदलपुर, कुम्हरार, पटना–800006** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
सरकार के उप सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– निग/सारा–04 (पथ) मुक०–02/2022 5650(S) /पटना, दिनांक 10/8/26

प्रतिलिपि :– आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय web-site पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।

10-8-26

सरकार के उप सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

10.08.26

E/Nigrani Section-2011-2012/Devendra/Adhisuchna & Ka. Adesh-2014